अनुदान संख्या 8 - नागर विमानन मंत्रालय
GRANT No. 8 - MINISTRY OF CIVIL AVIATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3026,70,00	3026,72,00	2002,22,26	-1024,49,74
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1018,40,55
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	86,66,00	771,84,00	755,17,70	-16,66,30
पूरक	Supplementary	685,18,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				16,39,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	6558.00	4747.85	4699.39	-48.46
पु.	R.	-1810.15			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"				
नागर विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	273115.00			
पू.	S.	1.00	196083.60	195522.87	-560.73
पु.	R.	-77032.40			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	22997.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-22998.00			

(I) छः शीर्षों के अन्तर्गत ₹23032.00 लाख का प्रावधान (फरवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इनमें से ₹22998.00 लाख केवल उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण मुख्य शीर्ष "2252" – उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एन. ई. आर.) में हवाई सेवा की सुविधा और विमानन अवसंरचना प्रदान करना क्षेत्रीय संपर्क स्कीम के अन्तर्गत लेखाबद्ध थे।

(I) Provision of ₹23032.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2024) remained wholly unutilized under six heads; of these ₹22998.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Providing Air Connectivity and Aviation Infrastructure in North Eastern Region (NER) - Regional Connectivity Scheme" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on project/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – नागर विमानन मंत्रालय" के अन्तर्गत – ₹1858.61 लाख की बचत (₹6558.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और जुड़नार की खरीद किए जाने, कम अध्ययन दौरे किए जाने और कम संख्या में परामर्शदाता नियुक्त करने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Civil Aviation" - saving of ₹1858.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6558.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, procurement of less office equipment, furniture and fixtures, less study tours undertaken and hiring of less consultants.

(III) मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य" के अन्तर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "निदेशन और प्रशासन – विनिवेश के बाद एयर इंडिया" – ₹7900.00 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में चिकित्सा दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) "निरीक्षण–वायुयान निरीक्षण नियंत्रक" – ₹1988.32 लाख की बचत (₹8306.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के नहीं भरे जाने, कम संख्या में एल. टी. सी. और चिकित्सा दावों की प्राप्ति होने, डी. जी. सी. ए. के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर नए उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना में विलम्ब होने, कम मात्रा में डिजीटल उपकरणों की खरीद किए जाने और सिविल और इलैक्ट्रिक कार्यों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(गा) "नागर विमानन सुरक्षा – नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो" – ₹2260.90 लाख की बचत (₹8720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के नहीं भरे जाने, कम संख्या में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति होने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, बी. सी. ए. सी. के क्षेत्रीय कार्यालयों के किराए का भुगतान नहीं किए जाने और कम संख्या में परामर्शदाताओं की नियुक्ति किए जाने के कारण हुई।

(घा) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – एयर इंडिया एसेट होल्डिंग (एस. पी. वी.)" – ₹49449.00 लाख की बचत (₹114449.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मौद्रिकरण/किराया आय से प्राप्तियां और एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड द्वारा की गई सावधि जमा से प्राप्त ब्याज आय के कारण हुई।

(ङ) "अन्य व्यय – क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम" – ₹39606.00 लाख की बचत (₹101406.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हवाई अड्डों के जीर्णोद्धार/विकास के लिए निष्पादन एजेंसियों से कम संख्या में दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹23549.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं,

(III) Under Major Head "3053" - "General" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Direction and Administration - Air India after Disinvestment" - saving of ₹7900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs) was due to receipt of less medical claims.

(B) "Inspection - Controller of Aeronautical Inspection" - saving of ₹1988.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8306.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less LTC and medical claims, delay in setting up of new Sub Regional Offices at various locations under DGCA, procurement of less digital equipments and non-finalization of civil and electric works.

(C) "Civil Aviation Security - Bureau of Civil Aviation Security" - saving of ₹2260.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8720.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical re-imbursement claims, non-finalization of trainings programmes, non-payment of rent for Regional offices of BCAS and hiring of less consultants

(D) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Air India Assets Holding (SPV) - saving of ₹49449.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹114449.00 lakhs) was due to receipts from monetization/rental proceeds and interest income from fixed deposit placed by Air India Assets Holding Limited.

(E) "Other Expenditure - Regional Connectivity Scheme" - saving of ₹39606.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹101406.00 lakhs) was due to receipt of less claims from executing agencies for revival/development of airports.

2.(I) The above savings were partly (₹23549.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by

जैसा कि फरवरी, 2024 में मुख्य शीर्ष "3053" के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) "हवाई सेवाएं – उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए स्कीमें – क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम" – ₹20419.00 लाख, हालांकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹20417.55 लाख हुआ।

(खा) "सामान्य" –

(क) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए ए.ए.आई. को सहायता अनुदान" – ₹1442.00 लाख।

(ख) "अन्य व्यय – ए. ई. आर. ए. को सहायता अनुदान" – ₹1688.00 लाख।

(II) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य–निदेशन और प्रशासन – नागर विमानन महानिदेशालय" के अन्तर्गत – निरीक्षणों, निगरानी और लेखा परीक्षा (विनियामक कार्य) के लिए अपेक्षाकृत अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपेक्षाकृत अधिक संख्या में प्रशिक्षण, संगोष्ठियाँ और बैठकों का आयोजन होने, डी.जी.सी.ए. के कार्यालय को नए भवन में अंतरित किए जाने के कारण विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और अपेक्षाकृत अधिक संख्या में आउटसोर्स सेवाएं लिए जाने हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹610.11 लाख का अधिक व्यय (₹15166.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचते निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुईः–

re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in February, 2024 under Major Head "3053" - under the following heads: -

(A) "Air Services - Schemes for NE Region - Regional Connectivity Scheme" - ₹20419.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹20417.55 lakhs.

(B) "General" -

(a) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Grants in aid to AAI for NE Region" - ₹1442.00 lakhs.

(b) "Other Expenditure - Grants-in-aid to AERA" - ₹1688.00 lakhs.

(II) The above savings were also offset by excess under Major Head "3053" - "General - Direction and Administration - Director General Civil Aviation" - excess of ₹610.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15166.00 lakhs) was due to receipt of more proposals towards inspections, surveillance and audits (Regulatory Functions), conduction of more trainings, seminars and meetings in international forum, requirement of additional funds towards purchase of various goods and services owing to shifting of DGCA office to new office building and hiring of more outsourcing services.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5053"	Major Head "5053"				
नागर विमानन में पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	7850.00			
पू.	S.	67572.00	74155.00	74130.20	-24.80
पु.	R.	-1267.00			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	Capital Outlay on other General Economic Services				
मू.	O.	316.00			
पू.	S.	458.00	402.00	399.50	-2.50
पु.	R.	-372.00			

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाये गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:—

(I) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilized as shown against each: -

(का) मुख्य शीर्ष "5053" — "सामान्य—निरीक्षण — वायुयान निरीक्षण नियंत्रक" — ₹120.00 लाख का मूल प्रावधान फरवरी, 2024 में ₹110.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त कर ₹230.00 लाख तक बढा दिया गया था। तथापि, ₹123.70 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) मोटर वाहनों, आई. सी. टी. उपकरणों और फर्नीचर वस्तुओं की खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(A) Major Head "5053" - "General - Inspection - Controller of Aeronautical Inspection" - the original provision of ₹120.00 lakhs was augmented to ₹230.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹110.00 lakhs in February, 2024. However, there was a saving of ₹123.70 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalization of procurement process for motor vehicles, ICT equipments and furniture items.

(खा) मुख्य शीर्ष "5475" — "निदेशन और प्रशासन — सम्बद्ध कार्यालय (आर्थिक सेवाएं)" — ₹56.00 लाख का मूल प्रावधान फरवरी, 2024 में ₹159.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹215.00 लाख तक बढ़ा दिया गया था। तथापि, ₹205.23 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) सी. वी. आर. लैब सेटअप कार्य के पूरा नहीं होने के कारण हुई।

(B) Major Head "5475" - "Direction and Administration - Attached offices (Economic Services)" - the original provision of ₹56.00 lakhs was augmented to ₹215.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹159.00 lakhs in February, 2024. However, there was a saving of ₹205.23 lakhs

(including supplementary grant) - due to non-completion of CVR lab setup work.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार अप्रयुक्त रहा:–

(का) मुख्य शीर्ष "5053" – "सामान्य" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – महानिदेशक नागर विमानन" – ₹5470.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसम्बर, 2023 और फरवरी, 2024 में ₹6860.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹12330.00 लाख तक बढ़ा दिया गया था, जो, तथापि, ₹734.79 लाख तक अप्रयुक्त रहा; और

(ख) "नागर विमानन सुरक्षा – नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो" – ₹2260.00 लाख के मूल प्रावधान को फरवरी, 2024 में ₹602.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹2862.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जो, तथापि, ₹433.31 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत बचतें ए. ए. आई. से संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण के अंतिम बिल प्राप्त नहीं होने और आई. सी. टी. उपकरण की खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुईं।

(खा) मुख्य शीर्ष "5475" – "निदेशन और प्रशासन – सचिवालय (आर्थिक संवाएं)" – ₹260.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसम्बर, 2023 में ₹299.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹559.00 लाख तक बढाया गया, जो, हालांकि ₹169.27 लाख की सीमा तक आई. सी. टी. उपकरण, फर्नीचर और जुड़नार की खरीद को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each: -

(A) Major Head "5053" - "General" -

(a) "Direction and Administration - Director General Civil Aviation" - the original provision of ₹5470.00 lakhs was augmented to ₹12330.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6860.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 which, however, remained unutilized to the extent of ₹734.79 lakhs; and

(b) "Civil Aviation Security - Bureau of Civil Aviation Security" - the original provision of ₹2260.00 lakhs was augmented to ₹2862.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹602.00 lakhs in February, 2024 which, however, remained unutilized to the extent of ₹433.31 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-receipt of final bills from AAI towards the construction of combined office building and non-finalization of procurement process for ICT equipment.

(B) Major Head "5475" - "Direction and Administration - Secretariat (Economic Services)" - the original provision of ₹260.00 lakhs was augmented to ₹559.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹299.00 lakhs obtained in December, 2023 which, however, remained unutilized to the extent of ₹169.27 lakhs - due to non-finalization of procurement process for ICT equipment and furniture and fixtures.